

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

**अधिसूचना**

राँची

2230 दिनांक :- 16.5.12

अधि० सं०-2/स्था०(स्था०पदस्था०)-03-16/11-----/ जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-100 दिनांक 07.02.12 द्वारा एकलरूप के आधार पर अंतर्राज्जीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप अंतिम रूप से जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राज्य आवंटित निम्नांकित सहायक अभियंता, जो वर्तमान समय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं, को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम/ आई.डी./ गृह जिला/ जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नवपदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री लॉजिन्स मिज सहायक अभियंता/ 4771/ गुमला/ 11.12.54	अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	सहायक अभियंता, जलपथ अवर प्रमंडल सं०-01, सरायकेला शिविर चक्रधरपुर (जलपथ प्रमंडल सं०-02, चक्रधरपुर शिविर चाईबासा)	
2.	श्री शहीदन उराँव सहायक अभियंता/ 4774/ लोहरदगा/ 10.08.60	- तथैव -	सहायक अभियंता कोनार नहर अवर प्रमंडल सं०-01, बगोदर (कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर)	
3.	श्री छट्टू तिग्गा सहायक अभियंता/ 4622/ गुमला/ 21.04.60	- तथैव -	सहायक अभियंता जलपथ अवर प्रमंडल सं०-02 खरसावों शि० चाईबासा (जलपथ प्रमंडल चाईबासा)	
4.	श्री निरंजन उराँव सहायक अभियंता/ 4624/ राँची/ 16.01.60	- तथैव -	सहायक अभियंता खरकई नहर अवर प्रमंडल आदित्यपुर (खरकई नहर प्रमंडल आदित्यपुर)	
5.	श्री कवीन्द्र भगत सहायक अभियंता/ 4623/ लोहरदगा/ 02.01.61	- तथैव -	सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल सं०-01 लिट्टिपाड़ा रानी बहाल (सिंचाई प्रमंडल, दुमका)	
6.	श्री शोभा कान्त सिंह सहायक अभियंता/ जे 1923/ भागलपुर/ 19.10.62	- तथैव -	सहायक अभियंता सिंचाई अवर प्रमंडल सं०-01, सिकटिया (सिंचाई प्रमंडल सिकटिया)	



1	2	3	4	5
7.	श्री नरेश प्रसाद मंडल सहायक अभियंता / जे 9038 / भागलपुर / 15.10.64	- तथैव -	सहायक अभियंता सिंचाई अवर प्रमंडल सं.-02, गोड्डा (सिंचाई प्रमंडल गोड्डा शिविर महगामा)	

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

( रमेश कुमार चौधरी )

सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक—

2230

राँची, दिनांक— 16.5.12

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पचीस) प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

( रमेश कुमार चौधरी )

सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक—

2230

राँची, दिनांक— 16.5.12

प्रतिलिपि—महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची / महालेखाकार, बिहार बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार पटना / माननीय उप मुख्य मंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना / सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, बिहार पटना / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर / विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियंता प्रमुख—I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / संबंधित मुख्य अभियंता / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड / संबंधित पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 / ब०, 7 / यो० एवं 8ए०, 8बी० एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित सहायक अभियंता को निदेश दिया जाता है कि नवपदस्थापित पद / स्थान का प्रभार पत्र अविलम्ब प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

( रमेश कुमार चौधरी )

सरकार के अवर सचिव (प्र०)

22.10.12